

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

महाराणा प्रताप मकान निर्माण हेतु सहायता राशि योजना का आवेदन पत्र

1. प्रार्थी का नाम श्री / श्रीमती / सुश्री
(पुरुष / स्त्री)
2. पिता / पति का नाम श्री
3. जाति
4. निवास स्थान तहसील जिला
5. पेशा वार्षिक आय
6. कुटुम्ब में सदस्यों की संख्या
7. जिस स्थान पर मकान बनाया जा रहा है उसकी स्थिति :-
(अ) क्या मकान किसी पुराने प्लॉट पर / नये प्लॉट पर बनाया जायेगा
- (ब) प्लॉट की लम्बाई व चौड़ाई
- (स) मोहल्ले का नाम
- (द) क्या मकान पक्का बनाया जायेगा

मैं स्वयं को नियमों में आबद्ध करता / करती हूँ कि मकान के लिये जो धनराशि सहायता के रूप में मुझे मिलेगी उसका सही तौर से उसी प्रयोजन के लिये प्रयोग करूंगा / करूंगी, जिसके लिये स्वीकृति प्रदान हुई है। इस सम्बन्ध में जो भी नियम अथवा आदेश निकलेंगे मैं श्री / श्रीमती / सुश्री
(प्रार्थी का नाम) पूर्ण रूप से उनका पालना करूंगा / करूंगी।

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि यह जमीन किसी के गिरवी रखी हुई नहीं है एवं मेरे पास इस जिले में अथवा राज्य में कोई दूसरा मकान नहीं है। इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले नियम तथा आदेशों की मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा / करूंगी। मैंने अभी तक किसी दूसरे सरकारी विभाग से मकान बनाने व जीर्णोद्धार के लिये किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ली है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

तस्दीक : उपरोक्त विवरण सही है।

सरपंच, ग्राम पंचायत / अध्यक्ष, नगरपालिका,
नगर परिषद् / महापौर, नगर निगम

साक्षी 1.

साक्षी 2.

जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री मोहल्ला
तहसील जिला जो गत एक वर्ष से इस क्षेत्र में स्थाई निवास
कर रहे हैं, गाड़िया लोहारों में से हैं और वर्तमान में लोहारगिरी का व्यवसाय करते हैं।

हस्ताक्षर
पद (मोहर)

नोट : यह प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य/विधायक/ तहसीलदार अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षरित कराया जायगा।